

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1. परियोजना का नाम	:	मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड जांजगीर चांपा के द्वारा बिलासपूर वृत्त के जांजगीर चांपा वनमण्डल अन्तर्गत ग्राम बाड़ादरहा की 4.880 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु ।		
2. आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	:	मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड		
3. गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	:	4.880 हे.		
4. आवेदित क्षेत्र की स्थिति	:	जिला	वनमण्डल	परियोजना स्थल
		जांजगीर चांपा		बाड़ादरहा
5. वन भूमि का विस्तृत विवरण	:	वनखण्ड/ग्राम	ख0नं0	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल
क. आरक्षित वन				
ख. सीमांकित संरक्षित वन/राजस्व वनभूमि योग	:	बाड़ादरहा, तह	779/1	4.880 हे.
		डभरा जिला		
		जांजगीर चांपा		
ग. असीमांकित संरक्षित वन (नारंगी वन)		निरंक	निरंक	निरंक
योग	:			
घ. राजस्व वन क्षेत्र	:	बाड़ादरहा	सूची संलग्न	4.880 हे0
		1 ग्राम		4.880 हे0
योग	:			
6. आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	:	निरंक		
7. आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	:	कुल वृक्ष संख्या - निरंक		
8. आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	:	सामान्य		
9. आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू. डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें ।)	:	प्रकरण विद्युत उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग से 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।		

10. क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत है अथवा नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदत करें ।

आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर, रिजर्व, प्राकृतिक झील, /वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत नहीं है।

11. आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारतसरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे ।)

आवेदित राजस्व वन भूमि के अलावा विकल्प नहीं है क्योंकि प्रकरण विद्युत उत्पादन से संबंधित है। आसपास के क्षेत्र की निजी एवं शासकीय भूमि को छ.ग. शासन के द्वारा भू-अर्जन एवं भू-आबंटन के माध्यम से संस्थान को प्रदाय किया गया है। आवेदित क्षेत्र उक्त भूमि के साथ लगी हुई है एवं यह खनन परियोजना से संबंधित नहीं है।

12. आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें ।

आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रमाण — पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है । आवेदक द्वारा मांग की गयी वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है ।

निरीक्षण स्थल :- बाड़ादरहा

दिनांक :- 13-8-19


वन मण्डलाधिकारी
जिलाधीश-बाम्पा वनमंडल
वन संरक्षक/व.म.अ. के हस्ताक्षर
बिलासपुर वृत्त/चांपा वनमण्डल
मय सील